न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 19/2020

1. बुद्वीराम पुत्र गोपालीराम मतदाता संख्या 584
2. शकुन्तला बंसल पत्नी बुद्वीराम मतदाता संख्या 584
3. अमित पुत्र बुद्वीराम मतदाता संख्या 586
4. अजय पुत्र बुद्वीराम मतदाता संख्या 587
5. चंचल पत्नी अजय मतदाता संख्या 588
6. कविता पत्नी अमित मतदाता संख्या 599
7. मंगतीराम पुत्र फूलीराम मतदाता संख्या 592
8. सुशीला देवी पत्नी मंगतीराम मतदाता संख्या 593
9. पुनीत कुमार पुत्र मंगतीराम मतदाता संख्या 592
10. नीतु पत्नी पुनीत मतदाता संख्या 595
11. भूदेव पुत्र मंगतीराम मतदाता संख्या 596
12. नेहा पत्नी भूदेव मतदाता संख्या 597
13. मुकेश सिंघल पुत्र द्वारिका प्रसाद मतदाता संख्या 225
14. शशि पत्नी मुकेश सिंघल मतदाता संख्या 229
15. घनश्याम पुत्र लखनलाल गुप्ता मतदाता संख्या 445
16. लक्ष्मी पत्नी घनश्याम मतदाता संख्या 450
17. हरिओम पुत्र गनपत राम मतदाता संख्या 184
18. रेखा पत्नि हरिओम मतदाता संख्या 186
19. दीपक पुत्र हरिओम मतदाता संख्या 188
20. ज्योति पत्नी दीपक मतदाता संख्या 197
21. प्रशान्त पुत्र हरिओम मतदाता संख्या 185

समस्त निवासीयान वार्ड नम्बर संख्या 23 बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलांट्स

बनाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (उप जिलाधीश) बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.... रैस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्व आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) बयाना दिनांक 19.11.2020 बावत वार्ड संख्या 23 से प्रार्थीगण का नाम हटाये जाने।

निर्णय **दिनांक : 07.12.2020**

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्व आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक 19.11.2020 के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स जन्म से ही नगर पालिका बयाना के वार्ड संख्या 23 के निवासी हैं व आज तक उक्त वार्ड के मतदान केन्द्रों पर ही लोक सभा,विधान सभा तथा नगरपालिका चुनावों में मतदान करते चले आ रहा हैं। रेस्पोडेन्ट ने जो नवीन संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की है, उसमें अपीलान्ट्स का नाम वगैर अपीलान्ट्स को सूचित किये डिलीट कर दिया गया है। वार्ड का नवीन सीमांकन भी नहीं हुआ है और न अपीलान्ट्स ने अपना निवास बदला है। प्रार्थीगण के राशनकार्ड ,आधार कार्ड व मतदाता कार्ड वार्ड संख्या 23 के ही हैं। रेस्पोडेन्ट का आदेश पूर्णतः गलत व तथ्यों के विपरीत है,जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 19.11.2020 निरस्त कर अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 23 नगर पालिका बयाना की मतदाता सूची में रखे जाने की प्रार्थना की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है ''**कि प्रार्थीगण के नामों पर आपत्ति प्राप्त होने पर सुपरवाईजर से जांच कराई गई, जिसमें प्रार्थीगण भिन्न–भिन्न वार्डों में निवास करते पाये गए। अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 12 वर्तमान वार्ड संख्या 24 में, अपीलान्ट संख्या 13,14 वार्ड संख्या 30 में , अपीलान्ट सं0 15,16 वार्ड संख्या 28 में तथा अपीलान्ट संख्या 17 लगायत 21 वार्ड संख्या 29 में निवास करते हैं। वार्ड का परिसीमन हुआ है। प्रार्थीगण के नाम डिलीट नहीं किये गए हैं, वे जिस स्थान पर निवास करते हैं, [illegible] वार्डों में उनके नाम शिफ्ट किये गए**

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपीलान्ट ने निर्वाचन प्रक्रिया में गलत लाभ लेने की दृष्टि से दस्तावेज निवास से भिन्न बनवाए हुए हैं।"

अपीलान्ट्स के निवास के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी. एम.) बयाना द्वारा सुपरवाईजर से जांच कराई गई है। सुपरवाईजर द्वारा की जांच में अपीलान्ट्स को कस्बा बयाना के भिन्न भिन्न वार्डों में रहना पाया गया है। इन्होंने भिन्न भिन्न वार्डों में अपने निवास बना रखे हैं। ई0आर0.ओ0 द्वारा जांच करने के बाद ही इनके नाम वार्ड नं0 23 से हटाये गए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी व्यक्ति के दो या दो से अधिक स्थानों पर संपत्ति/प्लॉट या घर हो सकते हैं, लेकिन भौतिक सत्यापन के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत जरूरी है कि वे वास्तव में कहां रहते हैं। प्रार्थीगण के नाम डिलीट नहीं किये गए हैं, वे जिस स्थान पर निवास करते हैं, उन्हीं वार्डों में उनके नाम शिफ्ट किये गए हैं। ई0आर0ओ0 बयाना का आदेश दिनांक 19.11.2020 उचित प्रतीत होता है। उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:37 IST
Reason: SelfAttested